उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1964

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1964}

THE UTTAR PRADESH PASHUDHAN SUDHAR ADHINIYAM, 1964

[U. P. ACT NO. XVIII OF 1964]

उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1964[1]

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18, 1964}

{उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 11 दिसम्बर, 1963 तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 4 अगस्त, 1964 की बैठक में स्वीकृत किया।

''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 24 अगस्त, 1964 ई0 को स्वीकृति प्रदान की और उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 26 अगस्त, 1964 ई0 को प्रकाशित हुआ ।}

उत्तर प्रदेश में पशुधन के सुधार की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारतीय गणतंत्र के पन्द्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1–– (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पशुधन सुधार अधिनियम, 1964 कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(3) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा, जो राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति[2] द्वारा नियत करें, और उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

परिभाषायें

2–– विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में ––

(क) ''अनुमोदित सांड'' का तात्पर्य धारा 6 के अधीन प्रमाणित तीर दागे गये सांड से है ;

(ख) ''सांड'' का तात्पर्य गाय या भैंस के ऐसे नर संतति (male progeny) से है, जो बधिया न किया गया हो और जिसकी अवस्था दो वर्ष से कम न हो ;

(ग) सांड के संबंध में ''बधिया करना'' का तात्पर्य उसे अपनी जाति की प्रजनन शक्ति से वंचित करना है ;

(घ) ''निदेशक'' का तात्पर्य पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश से है और इसके अन्तर्गत पशुपालन अपर निदेशक, उत्तर प्रदेश भी है ;

(ङ) सांड के संबंध में ''पालने'' का तात्पर्य सांड के स्वामी होने से अथवा तत्समय उस पर कब्जा, अभिरक्षा या नियंत्रण रखने से है ;

(च) ''पशुपालन अधिकारी'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन किसी क्षेत्र के संबंध में पशुधन अधिकारी के कृत्यों का सम्पादन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है ; और

(छ) ''नियत'' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा नियत से है ।

अनुमोदित सांड पालने का निषेध

3–– इस अधिनियम द्वारा या इसके अन्तर्गत की गयी व्यवस्था के अधीन रहते हुये कोई भी व्यक्ति ऐसा सांड नहीं पालेगा, जो अनुमोदित सांड न हो ।

---

1. उददेश्यों और कारणों के विवरण के लिये 2 दिसम्बर, 1963 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

2. विज्ञप्ति संख्या 22/12–ई–27/55 दिनांक 1 जून, 1965 के अधीन दिनांक 1 अक्टूबर, 1965 से उक्त अधिनियम मेरठ जिले की निम्नलिखित तहसीलों में लागू है :
   1 मोआना।
   2 बागपत।
   3 मेरठ।

सांडों की उपयुक्त नस्लों या वर्गो की घोषणा

4–– (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा किसी क्षेत्र के संबंध में, उस क्षेत्र के लिये उपयुक्त सांडों की नस्लों और वर्गों की घोषणा कर सकती है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति जारी करते समय सरकार, उस क्षेत्र में सभी नस्लों और वर्गो के उपलभ्य सांडों की संतति से प्राप्त होने वाले दुग्ध की मात्रा और उनकी उपयुक्तता तथा ऐसी नस्लों और वर्ग के सांडों की, जिन्हें उस क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित करने का प्रस्ताव हो, पर्याप्त संख्या में उपलब्धता और ऐसे अन्य विषयों पर, जिन्हें वह संगत समझे, विचार करेगी ।

(3) उपधारा (1) के अधीन घोषित करने के पूर्व सरकार गजट में प्रारम्भिक विज्ञप्ति प्रकाशित करायेगी, जिसमें वह सम्बद्ध क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित किये जाने वाले प्रस्तावित सांडों के वर्गों और नस्लों को निर्दिष्ट करेगी और प्रस्तावों पर आपत्तियां आमंत्रित करेगी और प्रारम्भिक विज्ञप्ति के अनुमत समय के भीतर प्राप्त आपत्तियों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी ।

निरीक्षण के लिये सांडों को प्रस्तुत करना

5–– पशुधन अधिकारी, लिखित आज्ञा द्वारा, किसी व्यक्ति से, जो अनुमोदित सांड पालता हो, निरीक्षण के लिये सांड को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और तदुपरान्त वह व्यक्ति उसे निरीक्षण के लिये ऐसे दिनांक पर और ऐसे समय तथा स्थान पर प्रस्तुत करेगा, जो आज्ञा में निर्दिष्ट किये जायें :

प्रतिबंध यह है कि निरीक्षण उसी ग्राम अथवा नगर में होगा जिसमें सांड पालने वाला व्यक्ति सामान्यतया रहता हो ।

सांडों को प्रमाणित करना और दागना

6–– यदि सांड का निरीक्षण करने पर, पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि सांड प्रजनन प्रयोजनों के काम में लाये जाने योग्य है और––

(क) वह दोषपूर्ण या संरूप (conformation) का नहीं है ; या

(ख) असाध्य प्रकार के ऐसे सांसर्गिक या संक्रामिक रोग से या किसी ऐसे अन्य रोग से पीड़ित नहीं है, जिससे कि सांड जनन प्रयोजनों के लिये उपयुक्त हो जाये ; और

(ग) उक्त क्षेत्र के संबंध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति कर दिये जाने की दशा में वह ऐसी नस्लया वर्ग का नहीं है, जो उक्त क्षेत्र के लिये उपयुक्त घोषित न किया गया हो––

तो वह सांड को अनुमोदित सांड के रूप में प्रमाणित करेगा और तदर्थ चिन्ह से उसे दगवायेगा।

उन सांडों का बधिया किया जाना जो अनुमोदन के लिए अयुक्त हों

7–– (1) यदि निरीक्षण करने पर, पशुधन अधिकारी का यह समाधान हो जाये कि कोई सांड धारा 6 के अधीन प्रमाणित किये जाने पर कि सांड धारा 6 के अधीन प्रमाणित किये जाने या दागे जाने के उपयुक्त नहीं है तो वह लिखित आज्ञा द्वारा, सांड़ पालने वाले व्यक्ति को वह निदेश देगा कि––

(1) उक्त धारा के खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत आने वाली अयोग्यता की दशा में वह सांड़ को ऐसी अवधि में बधियां करा ले, जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय।

(2) उक्त धारा खण्ड (ग) क अन्तर्गत आने वाली किन्तु खण्ड (क) या (ख) के अन्तर्गत न आने वाली अयोग्यता की दशा में, उसे या तो निषिद्ध क्षेत्र से दूर हटा दे या ऐसी अवधि के भीतर बधिया करा ले जो आज्ञा में निर्दिष्ट की जाय।

(2)(क) उपधारा (1) के अधीन आज्ञा से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे अधिकारी को और ऐसी रीति से अपील कर सकता है, जो नियत की जाय और अपील पर दी गई आज्ञा अन्तिम तथा बन्धनकारी होगीः

प्रतिबन्ध यह है कि उस आज्ञा के दिनांक से, जिसके विरूद्व अपील की गई हो, तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि अपीलीय प्राधिकारी, उन कारणों से जो अभिलिखित किए जायेगें, उक्त अवधि के पश्चात् अपील ग्रहण करना उचित न समझे ;

(ख) वह प्राधिकारी, जिसके समक्ष अपील विचाराधीन हो ऐसी अन्तरिम आज्ञा दे सकता है जो वह उचित और इष्टकर समझे।

(3) बधिया करने का कार्य पशुधन अधिकारी करेगा या करायेगा, जब तक कि सांड का स्वामी या उसे पालने वाला अन्य व्यक्ति आज्ञा का अनुपालन करने के लिए स्वयं अपना प्रबन्ध करने की इच्छा प्रकट न करे।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन दी गई आज्ञा अन्तिम हो जाय किन्तु अनुमत समय के भीतर उसका अनुपालन न किया जाय, तो पशुधन अधिकारी धारा 13 के अधीन की जाने वाली किसी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सांड़ को अभिगृहीत और उसे बधिया करा सकता है।

स्पष्टीकरण–– इस धारा में सांड़ के सम्बन्ध में ''निषिद्ध क्षेत्र'' का तात्पर्य उस क्षेत्र से है, जिसके सम्बन्ध में धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन विज्ञप्ति कर दी गई हो और जिसके लिए ऐसा सांड़ उपयुक्त घोषित न किया गया हो।

अस्वाभाविक सांडों का बधिया किया जाना और उनकी अभिरक्षा

8–– (1) यदि पशुधन अधिकारी को नियत रीति से जांच करने के पश्चात् यह प्रतीत हो कि सांड़ किसी ज्ञात व्यक्ति द्वारा पाला नहीं गया है, तो वह उसे अभिगृहीत करायेगा और उसका निरीक्षण करेगा।

(2) यदि उक्त निरीक्षण करने पर उसे यह प्रतीत हो कि सांड, अनुमोदित सांड के रूप में प्रमाणित किए जाने और दागे जाने के लिए उपयुक्त नहीं है तो वह उसे बधिया कराएगा।

(3) पशुधन अधिकारी, किसी व्यक्ति के सक्षम क्षेत्राधिकार युक्त न्यायालय में सांड के सम्बन्ध में अपना स्वत्व स्थापित करने के अधिकार के अधीन रहते हुए, सांड़ को किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में ऐसी रीति से या ऐसी शर्तों और प्रतिबन्धों पर दे सकता है जो नियत किए जायें।

अनुपयुक्त होने पर अनुमोदित सांडों का बधिया किा जाना

9–– यदि पशुधन अधिकारी को किसी भी समय यह विश्वास करने का कारण हो कि अनुमोदित सांड़ को असाध्य प्रकार का सांसर्गिक या सांक्रामिक रोग हो गया है, या वह अनुमोदित सांड के रूप में काम करने के लिए अन्यथा अनुपयुक्त हो गया है तो वह उक्त सांड के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाही कर सकता है मानो वह अनुमोदित सांड़ हो और ऐसी कार्यवाही पर धारा 5, 6 और 7 के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।

पशुधन अधिकारी का प्रदेश और निरीक्षण करने का अधिकार

10–– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पशुधन अधिकारी को और ऐसे व्यक्ति को, जिससे वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का सम्पादन करने में सहायता देने की अपेक्षा करे, यह अधिकार होगा कि वह किसी भी उचित समय पर ––

(क) सांड का निरीक्षण करे; और

(ख) यदि कोई शर्तें नियत की जायें तो ऐसी शर्तों के अधीन किसी ऐसे स्थान में प्रवेश करे जहां उसे यह विश्वास करने का कारण हो कि सांड पाला जा रहा है।

रजिस्टरों का रखा जाना

11–– पशुधन अधिकारी ऐसे रजिस्टरों को रखेगा या रखवाएगा, जिनमें सांडों के निरीक्षण, बधिया किए जाने, प्रमाणीकरण और दागे जाने के विवरण तथा ऐसी अन्य सूचनायें दी जायेंगी, जो नियत की जायें।

अनधिकृत चिन्हांकन के लिए शास्ति

12–– यदि कोई व्यक्ति बिना वैध प्राधिकार के इस अधिनियम के अधीन नियत किसी चिन्ह से अथवा नियत चिन्ह सदृश्य किसी चिन्ह से, जिसका अभिप्राय धोखा देना हो अथवा जिससे यह विश्वास करने का कारण हो कि उस सदृश्य चिन्ह द्वारा धोखा दिया जायगा, किसी सांड को दागता है अथवा दगवाता है तो उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा, जो तीन मास तक हो सकता है या अर्थ दण्ड दिया जायगा, जो पांच सौ रूपए तक हो सकता है अथवा दोनों दिए जा सकते हैं।

इस अधिनियम के उपबन्धों आदि का उल्लंघन करने के लिए शास्ति

13–– इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या दी गई आज्ञा के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को अर्थ दण्ड दिया जायगा, जो एक सौ रूपए तक हो सकता है।

अपराधों का संज्ञान

14–– जब तक कि पशुधन अधिकारी या उसके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा परिवाद प्रस्तुत न किया जाय तब तक कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध का संज्ञान न करेगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

15–– (1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो, तो कम्पनी और प्रत्येक वयक्ति, जो अपराध किए जाने के समय कम्पनी का कारोबार चलाने के निमित्त उसका प्रभारी, तथा उसके प्रति उत्तरदायी हो, अपराध करने के दोषी समझे जायेंगे और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तद्नुसार उन्हें दण्ड दिया जा सकेगा :

प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई उक्त व्यक्ति यह सिद्ध कर दे कि अपराध उसकी जानकारी में नहीं किया गया था अथवा उसने उस अपराध को रोकने के लिए सभी प्रकार की यथोचित सावधानी बरत ली थी तो इस उपधारा की किसी बात से वह दण्ड का भागी नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से हुआ है, अथवा यह कि अपराध उसकी उपेक्षा के कारण हुआ है तो वह निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा ओर उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सकेगी तथा तद्नुसार उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण–– इस धारा के प्रयोजनों के लिए––

(क) ''कम्पनी'' का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ भी है; और

(ख) फर्म के सम्बन्ध में ''निदेशक'' का तात्पर्य फर्म के साझीदार से है।

सद्भावना से की गई कार्यवाही का संरक्षण

16–– इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किसी नियम या दी गई किसी आज्ञा के किसी उपबन्ध के अनुसरण में सद्भावना से किये गए अथवा किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी कार्य के लिए राज्य सरकार के किसी अधिकारी या सेवक के विरूद्ध कोई वाद या अभियोजन प्रस्तुत नहीं किया जायगा और न अन्य विधिक कार्यवाही की जायगी।

नियम बनाने का अधिकार

17–– (1) राज्य सरकार, गजट में विज्ञप्ति द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के पश्चात् नियम बना सकती है।

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त अधिकार का व्यापतकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित की व्यवस्था की जा सकती हैः—

(क) पशुधन अधिकारियों की नियुक्ति और उनकी अर्हताएं;

(ख) चिन्ह जिससे और रीति, जिसके अनुसार सांड़ को अनुमोदित सांड के रूप में दागा जायगा;

(ग) प्राधिकारी जिसे और रीति, जिसके अनुसार धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन अपील की जा सकता है;

(घ) रीति जिसे अनुसार और शर्तें तथा प्रतिबन्ध, जिन पर सांड धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा में दिया जा सकता है ;

(ङ) शर्तें, जिनका पालन करने पर धारा 10 के अधीन किसी स्थान में प्रवेश किया जा सकता है ;

(च) पशुधन अधिकारी द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और उनमें दर्ज की जाने वाली सूचना ;

(छ) रीति, जिसके अनुसार कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन जांच, अपील की सुनवाई और निस्तारण या अन्य कृत्यों का सम्पादन कर सकता है ;

(ज) इस अधिनियम के अधीन किसी आदेश क तामील करने की रीति ; और

(झ) कोई अन्य विषय, जो नियत किया जाता हो या नियत किया जा सके।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए समस्त नियम बनाए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में कुछ चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे और, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा कोई बाद का दिनांक निर्धारित किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों अथवा अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन नियमों के अधीन पहले की गई किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।